मि0नं0 708/दावा/2019 जितेंद्रसिंह बनाम सुमेंद्रसिंह वगैरह

04/06/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित है। न्यायालय हाजा के निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 14.05.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी को सुना गया, अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। वादीगण ने अंतिम डिकी के लिये स्टॉम्प पेश कर दिये हैं।

अतः न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.05.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डूँगरपुर तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2070–73 की खाता सं0 14 की 5 किता रकबा 54.04 बीघा, ग्राम घतरावतदा की जमाबंदी सं0 2073–76 की खाता सं0 49 की 2 किता की 4.01 बीघा, ग्राम चुरेलिया की जमाबंदी सं0 2073–76 की खाता सं0 32 की 2 किता की 5.15 बीघा, खाता सं0 31 की ख0नं0 9 की 26.00 बीघा व खाता सं0 33 की ख0नं0 7 की 6.13 बीघा आराजी में से वादीगण के हिस्से का निम्न प्रकार विभाजन किया जाकर खाता प्रथक किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

वादीगण 1 लगा0 5 :– जितेंद्रसिंह, भूपेंद्रसिंह, लोकेंद्रसिंह, बिन्दूकंवर पिता जोधराज हिस्सा 4/5 में संम्भाग व मंजूकंवर पत्नि जोधराजसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत निवासी डूँगरपुर तह0 खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
1	चुरेलिया	16	0.03	उत्तर–पूर्व
2	चुरेलिया	9	1.04	पश्चिम में दक्षिण कोना
3	चुरेलिया	7	0.04	दक्षिण–पूर्व
कुलयोग		3 किता	1.11	
1	धतरावदा	57/108	0.12	उत्तर–पूर्व
2	धतरावदा	57	1.08	दक्षिण
कुलयोग		2किता	2.00	
1	डूँगरपुर	15	1.06	उत्तर–पश्चिम कोना
कुलयोग		1 किता	1.06	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। वादीगण के खाते में पृथक दर्ज होने वाली आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। साथ ही जमाबंदी में शेष खातेदारान की पृविष्ठियां यथावत रहेगी। इस आशय की अंतिम डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 04/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner